आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

अनिल क्षेत्रपाल जे.के समक्ष,

सतबीर सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. प्रतिवादी 2018 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 38102 (ओ. एंड एम.)

2 फरवरी, 2021

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 226-प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टी. जी. टी.) (शारीरिक शिक्षा) का पद-एक बार के उपाय के रूप में परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) (हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा) में उपस्थित होने से छूट-2012 के नियमों को अधिसूचित करने के बाद पहली भर्ती में छूट दी गई-वर्तमान भर्ती दूसरी भर्ती है-वर्तमान याचिकाकर्ताओं को 2017 और 2018 में उक्त परीक्षा में उपस्थित होने के कई अवसर दिए गए-आयोजित एच. टी. ई. टी. (हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा) उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार के लिए पात्र होने के लिए 2018 तक योग्य होना चाहिए था-उम्मीदवार अधिकार के मामले के रूप में छूट का दावा नहीं कर सकते हैं-याचिका खारिज कर दी गई।

यह भी माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2012 के नियमों में संशोधन करके, राज्य सरकार ने प्रारंभिक कठिनाइयों को पहचानने के बाद, पहली भर्ती के लिए छूट दी थी जो 2012 के नियमों की अधिसूचना के बाद हुई थी।हालाँकि, 2012 के नियमों के नियम 19-ए के तहत भी, संक्रमणकालीन प्रावधान के लिए आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) और बी. एड. 01.04.2015 द्वारा उत्तीर्ण होना होगा।इस तारीख को बाद के संशोधन द्वारा 01.04.2018 तक बढ़ा दिया गया था।यह भी विवाद में नहीं है कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) परीक्षा वर्ष 2017 के साथ-साथ वर्ष 2018 में भी आयोजित की गई है, लेकिन कोई भी याचिकाकर्ता इसे पास नहीं कर सका।यह भी तय किया गया है कि छूट का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।राज्य ने अपने जवाब में बताया है कि इस तरह की छूट 2012 के नियमों को अधिसूचित करने के बाद आयोजित पहली भर्ती में दी गई थी और वर्तमान भर्ती दूसरी भर्ती है।इसके अलावा, उम्मीदवारों को वर्ष 2017 के साथ-साथ 2018 में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया था, यानी साक्षात्कार आयोजित करने से पहले दो बार। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न विषयों में टी. जी. टी. के रूप में भर्ती के लिए आवेदन किया है।हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.)/राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता सभी विषयों के लिए समान है। (पैरा 14)

(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

सुरेश कुमार कौशिक, अधिवक्ता जसबिर मोर, अधिवक्ता,

रजत मोर, अधिवक्ता, M.S.Virk, अधिवक्ता एस. के. कागसर, अधिवक्ता

शिव कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता तेजपाल ढुल, अधिवक्ता

अजय शेखावत, अधिवक्ता अशोक भारद्वाज, अधिवक्ता सुशील जैन, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए।

कीर्ति सिंह, डी. ए. जी, हरियाणा।K.K.Gupta, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए नं.3

(2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.40573 और 40653 में) राजेश के. श्योराण, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी-शिक्षा बोर्ड के लिए।

अनिल क्षेत्रपाल, जे।

(1) अदालतों के सीमित कामकाज के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से मामले की सुनवाई की गई।

(2) इस आदेश के अनुसार, 2018 की सिविल रिट याचिका No.38102,40573,38247,40674,38221,40449,40640,38137 और

40653,6,19,20,3353,4384,10268 और 2019 की 14516 का निपटारा किया जाएगा।

(3) इस याचिका द्वारा से, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 28.06.2015 की भर्ती सूचना के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) (शारीरिक शिक्षा) (श्रेणी संख्या 2) के पद के लिए साक्षात्कार के लिए उन्हें नहीं बुलाने के प्रतिवादी के फैसले पर सवाल उठाया है।मूल मुद्दा जिसके निर्धारण की आवश्यकता है वह है "क्या याचिकाकर्ता भर्ती सूचना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

(4) प्रश्न का उत्तर देने से पहले, भर्ती सूचना और नियमों में पात्रता मानदंडों को ध्यान दें करना उचित होगा।हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 28.06.2015 पर एक भर्ती सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (TGT) (समूह-C सेवाओं) के 1919 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।भर्ती सूचना के अनुसार, पात्रता निम्नानुसार थीः-

“योग्यताः-

क) हिंदी/संस्कृत के साथ मैट्रिक या हिंदी के साथ एक विषय के रूप में 10+2 बी. ए./एम. ए. को छोड़ दिया ।

(ख) स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी द्वारा आयोजित आवेदन किए गए पद के लिए संबंधित विषय की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.)/स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (एस. टी. ई. टी.) उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

नोट-जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन के बाद साक्षात्कार की तारीख तक एच. टी. ई. टी. उत्तीर्ण किया है, उन्हें साक्षात्कार की तारीख तक एच. टी. ई. टी. (टेस्ट) प्राप्त करने के आधार पर साक्षात्कार के लिए अनुमति दी जाएगी।

ग) प्रत्येक पद के साथ आवश्यक योग्यता (ईक्यू) दी जाती है।"

(5) हरियाणा राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए हैं, जिनके नाम हैं, हरियाणा स्कूल शिक्षा (समूह-सी) राज्य संवर्ग सेवा नियम, 2012 (जिसे इसके बाद '2012 नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसे 11.04.2012 पर अधिसूचित किया गया था।इसके भाग-II में सेवा में भर्ती का प्रावधान है।नियम 4,17 और परिशिष्ट 'बी' के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार निकाला गया हैः-

“4. (1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह -

((क) भारत का नागरिक; या

((ख) नेपाल का कोई विषय; या

(ग) भूटान का एक विषयः

बशर्ते कि किसी भी श्रेणी (बी) या (सी) से संबंधित व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

एक व्यक्ति जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

किसी भी व्यक्ति को अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्रधान विद्या सम्बन्धी अधिकारी से चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्थान ने अंतिम बार भाग लिया, यदि कोई हो, और दो अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से समान प्रमाण पत्र, जो उनके रिश्तेदार नहीं हैं, जो उनके निजी जीवन में उनसे अच्छी

(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

तरह से परिचित हैं और जो उनके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्थान से असंबद्ध हैं।"

XX

XX

XX

XX

"छूट, ढील की शक्ति-17। जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारण, किसी भी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील दे सकती है।"

परिशिष्ट 'बी'

10		शारीरिक शिक्षा स्नातक के साथ स्नातक (B.P.Ed) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसके समकक्ष; (ii) हिंदी/संस्कृत या विश्वविद्यालय के साथ मैट्रिक; 10+2 B. A./M. A. एक विषय के रूप में हिंदी के साथ; (iii) हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.)/स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (एस. टी. ई. टी.) उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।	शारीरिक शिक्षा स्नातक के साथ स्नातक (B.P.Ed) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसके समकक्ष; (ii) हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.)/स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (एस. टी. ई. टी.) में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र; (iii) शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (पी. टी. आई.) के रूप में 3 साल का अनुभव। स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वाराः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा स्नातक (B.P.Ed) या इसके समकक्ष के साथ स्नातक; (ii) हिंदी/संस्कृत के साथ मैट्रिक या हिंदी के साथ एक विषय के रूप में बी. ए./एम. ए.;
			(iii) टी. जी. टी. फिजिकल एजुकेटिन के रूप में 5 साल का शिक्षण अनुभव। (iv) हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.)/स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (एस. टी. ई. टी.) उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

(6) एच. टी. ई. टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता विभिन्न विषयों के सभी पदों के लिए सामान्य है।

(7) प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर आदेश के लिए, सरकार ने अधिसूचना दिनांक 02.07.2012 के माध्यम से नियम 19-ए जोड़ा जो इस प्रकार हैः-

" 19 ए. संक्रमणकालीन प्रावधानः- जिसे पूरा करने वाला व्यक्ति

इन नियमों के लिए परिशिष्ट बी के ध्यान दें (i) या (ii) (ए) के तहत उल्लिखित शर्तें और हरियाणा राज्य शिक्षा व्याख्याता स्कूल संवर्ग (समूह सी) सेवा नियम, 1998 में संबंधित पदों के खिलाफ उल्लिखित कॉलम 3 के तहत योग्यता रखने वाले भी एक बार के उपाय के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगेः

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को पहली अप्रैल, 2015 तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) और बी. एड. उत्तीर्ण करना होगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति बिना कोई और सूचना दिए स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट बी में, ध्यान दें (i) के लिए, निम्नलिखित ध्यान दें को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:--

"(i) कि सीधी भर्ती के मामले में, निजी रूप से प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा और बी. एड की योग्यता से छूट दी गई है, जैसा कि कॉलम 3 में वर्णित है, यदि उन्होंने इन नियमों को लागू करने की तारीख से चार साल की न्यूनतम अवधि के लिए शिक्षक के रूप में काम किया है।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट बी में, ध्यान दें (ii) के लिए, निम्नलिखित ध्यान दें को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(ए) एक व्यक्ति जिसने इन नियमों की अधिसूचना से पहले बी. एड की योग्यता के बिना हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसे भी इन नियमों के संशोधन के बाद होने वाली पहली भर्ती में एक बार के उपाय के रूप में सीधी भर्ती के मामले में पीजीटी के पद के लिए पात्र माना जाएगा।

(बी) 'सुसंगत अच्छे विद्या सम्बन्धी रिकॉर्ड' की शर्त जहां भी परिशिष्ट बी में कॉलम 3 ओ के तहत दिखाई देती है, इन नियमों के तहत की गई पहली भर्ती के दौरान ध्यान दें (i) या (ii) (ए) के तहत योग्य उम्मीदवारों के मामले में लागू नहीं की जाएगी।

(8) इसके बाद, एक बार फिर 12.09.2014 पर नियमों में संशोधन करके, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) में अर्हता प्राप्त करने की अवधि 01.04.2018 तक बढ़ा दी गई।

(9) हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) या राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एस. टी. ई. टी.) को पास करने में विफलता के कारण इन सभी याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है।प्रतिवादी

ने यह रुख अपनाया है कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) परीक्षा वर्ष 2017 के साथ-साथ वर्ष 2018 में भी आयोजित की गई है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और इसलिए, दस्तावेजों की जांच के लिए कहा, हालांकि, पात्रता प्रमाण पत्र (एच. टी. ई. टी./एस. टी. ई. टी.) की अनुपस्थिति में, अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

(10) यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.40573 (राखी रानी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने जनवरी, 2019 में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) उत्तीर्ण की है।

(11) इस अदालत ने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और उनकी समर्थ सहायता से पेपर बुक का अध्ययन किया है।

(12) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों का तर्क है कि नियमों में ही यह प्रावधान किया गया है कि एक बार के उपाय के रूप में परीक्षा में उपस्थित होने से छूट होगी।इसलिए, उनका तर्क है कि प्रतिवादी का हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) को मंजूरी देने पर जोर देना उचित नहीं है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) वर्ष 2017 में पहली बार आयोजित की गई थी।

(13) दूसरी ओर, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों ने बताया है कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) परीक्षा सभी विषयों के लिए सामान्य है और उम्मीदवार को विषय चुनना आवश्यक है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिसंबर, 2018 में भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित होने तक किसी भी याचिकाकर्ता ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की।इसलिए, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति सही ढंग से नहीं दी गई है।

(14) 2012 के नियमों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उम्मीदवारों को टी. जी. टी. के पद के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश लेने से पहले पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य के पास नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील देने की शक्ति है।इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि 2012 के नियमों में संशोधन करके, राज्य सरकार ने प्रारंभिक कठिनाइयों को पहचानने के बाद, 2012 के नियमों की अधिसूचना के बाद हुई पहली भर्ती के लिए छूट दी थी। हालाँकि, 2012 के नियमों के नियम 19-ए के तहत भी, संक्रमणकालीन प्रावधान के लिए आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) और बी. एड. 01.04.2015 द्वारा उत्तीर्ण

होना होगा।इस तारीख को बाद के संशोधन द्वारा 01.04.2018 तक बढ़ा दिया गया था।यह भी विवाद में नहीं है कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) परीक्षा वर्ष 2017 के साथ-साथ वर्ष 2018 में भी आयोजित की गई है, लेकिन कोई भी याचिकाकर्ता इसे पास नहीं कर सका।यह भी तय किया गया है कि छूट का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।राज्य ने अपने जवाब में बताया है कि इस तरह की छूट 2012 के नियमों को अधिसूचित करने के बाद आयोजित पहली भर्ती में दी गई थी और वर्तमान भर्ती दूसरी भर्ती है।इसके अलावा, उम्मीदवारों को वर्ष 2017 के साथ-साथ 2018 में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया था, यानी साक्षात्कार आयोजित करने से पहले दो बार।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न विषयों में टी. जी. टी. के रूप में भर्ती के लिए आवेदन किया है।हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.)/राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता सभी विषयों के लिए समान है।

(15) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि याचिकाकर्ता पात्र नहीं थे, इसलिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

(16) जहाँ तक राखी रानी के मामले का संबंध है, यह स्पष्ट है कि उन्होंने जनवरी, 2019 में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच. टी. ई. टी.) परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि साक्षात्कार दिसंबर, 2018 में आयोजित किया

(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

गया था। इस प्रकार, साक्षात्कार की तारीख पर, सुश्री राखी रानी पात्र नहीं थीं।

(17) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट जारी करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है, जैसा कि अनुरोध किया गया है।

(18) इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।

पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सावित्री